न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : जितेन्द्र ओझा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **68/12 (वाद)**

1. श्री कन्हैयालाल पिता हीरालाल ब्राहम्ण निवासी गुडली तह. मावली।

.....वादी

बनाम्

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
2. राज्य सरकार जरिये जिला कलक्टर उदयपुर।
3. श्री भंवरलाल पिता हीरालाल ब्राहम्ण निवासी गुडली तह. मावली।
4. श्री रामलाल पिता हीरालाल ब्राहम्ण निवासी गुडली तह. मावली।
5. श्री मनोहरलाल पिता हीरालाल ब्राहम्ण निवासी गुडली तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री देवराम डांगी, अधिवक्ता वादी।
2. श्री राजपेरोकार मावली, प्रतिवादी सं. 1, 2।
2. श्री खेमराज डांगी, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 3 से 5।

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 31.10.2017

1. वाद वादी अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है– मौजा गुडली पटवार हल्का गुडली तह. मावली जिला उदयपुर में स्थित आराजी नम्बर 1396/4 मे से रकबा 3 बिस्वा भूमि दिनांक 7.12.71 को एलोट हुई जिसका नामान्तरकरण नम्बर 415 होकर सन् 72 में वादी के नाम खुला ढालबाछ में भी कब्जा वादी का दर्ज है। जमाबन्दी में भी वादी का नाम दर्ज हैं। नकल जमाबन्दी पेश हैं।
2. वाद पत्र में अंकित आराजी रकबा 3 बिस्वा पर मुझ वादी का वक्त एलोट दिनांक 7.12.71 से बराबर कब्जा चला आ रहा है। आज भी मुझ वादी का कब्जा हैं।
3. रिवाईड सेटलमेन्ट में आ. न. 1396/4 के नये नम्बर 429 पडे है जरीब पुर्व में 152 फिट की थी अब 132 की होने से 3 बिस्वा भूमि का रकबा 4 बिस्वा हुआ हैं।

4. आराजी नम्बर 429 का रकबा 4 बिस्वा भूमि मुझ वादी के नाम पर गैरखातेदारी हक से दर्ज होना चाहिए था परन्तु रिवाईड सेटलमेन्ट में बिलानाम कर दिया जो गलत है।
5. आराजी मुझ वादी के नाम कराने हेतु प्रतिवादी सं. 1 को दिनांक 1.5.89 को रजिस्टर्ड नोटिस भी दिया परन्तु 2 माह का समय गुजर जाने के बाद भी उक्त आराजी मुझ वादी के नाम पर दर्ज नहीं होने से यह वाद लाना पड रहा हैं इसलिए बिनाय वाद 1.5.89 को वाद गुजरने मयाद नोटिस दिनांक 1.7.89 को पैदा हुई।
6. बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी निम्न हस्तदुआ है कि वाके मौजा गुडली में स्थित आराजी नमबर 429 रकबा 4 बिस्वा भूमि का मुझ वादी के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज कराई जावें।
7. प्रतिवादी द्वारा जवाब मय विशेष कथन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि बिलानाम सरकार में अगर नाजायज दर्ज होता है उसमें पडोस दर्ज नहीं होते है। अगर रेकार्ड में दर्ज किये है तो कानूनी गलत है। रेवेन्यु एजेन्सी से मिलकर दर्ज कराया हो तो वह गलत हैं।
8. विवादित पडोस में वादी का वाडा नहीं होकर वादी के भाई रामलाल, भंवरलाल, मनोहरलाल के तीन बाडे है। जिसका मुकदमा माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश व ख मावली में चल रहा हैं। इसलिए दफा 10 सी. पी. सी. के तहत् उक्त प्रकरण स्थगित करवाया जावें।
9. राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत् बाडा अस्थाई आवंटन होता हैं। इसलिए अस्थाई आवंटन खातेदारी अधिकारी प्राप्त नहीं होते हैं।
10. अस्थाई आवंटन बाडा अगर आवंटन हुआ हो तो उसमें वादी द्वारा मकान बनाया हैं उसे हटवाया जावें।
11. वादी का अस्थाई आंवटन का नामान्तकरण निरस्त हो चुका हैं। उसकी कोई अपील नहीं की इसलिए यह वाद नहीं चल सकता हैं।
12. प्रतिवादी सं. 1, 2 राजपेरोकार द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत कर वादी के वाद को अस्वीकार किया एवं निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि बाडा होकर अस्थाई हैं। इसलिए इसे गैर खातेदारी हक से दर्ज करना सम्भव नहीं हैं। बाडा अस्थाई तौर पर दिया जाता हैं और गैर खातेदारी हक से दर्ज करना नियमों के अन्तर्गत नहीं आता हैं। अतः वाद खारिज किया जाने का निवेदन किया।
13. प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु निम्न तनकीयात कायम की गईं।

1. आया वादी विवादग्रस्त भूमि का आवंटन होने से अपने नाम खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी हैं। .....बजिम्में वादी
2. आया बाडा अस्थाई आवंटन होने से गैर खातेदारी में होने से खातेदारी अधिकार नहीं दिया जा सकता हैं। .....बजिम्में प्रतिवादी

14. प्रकरण में अधिवक्ता वादी द्वारा वाद के समर्थन में साक्ष्य वादी गवाह बयान पीडब्ल्यू 1 श्री कन्हैयालाल, पीडब्ल्यू 2 श्री कजोडीलाल, पीडब्ल्यू 3 श्री धर्मराज पेश किया गया।
15. प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य प्रतिवादी शपथ पत्र डीडब्ल्यू 1 श्री भवंरलाल का पेश किया।
16. प्रकरण में वादी द्वारा वाद के समर्थन में दस्तावेज जिला कलक्टर को नोटिस प्रदर्श 1, पोस्ट ऑफिस की रसीद प्रदर्श 2, एडी रसीद प्रदर्श 3, खाते की नकल प्रदर्श 4, पट्टे की नकल प्रदर्श 5, रेवेन्यु बोर्ड के केस की प्रतिलिपी प्रदर्श 6, मिलान खसरे की नकल प्रदर्श 7 पेश किया गया।
17. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा प्रकरण में लिखित बहस मय नजीर RRD 1983 page 65, RRD 1983 page 285, RRD 1983 page 364, RRD 1985 page 343, RRD 1985 page 261 , RLW 2001(1) page 600, RBJ 2002(9) page 334 पेश कर वादी का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार उप तहसीलदार मावली द्वारा प्रकरण मे लिखित बहस मय नजीर राजस्थान राजस्व नियमावली संग्रह पेज 1, राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 पेज 93, वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 प्रस्तुत कर भूमि वर्तमान में नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के नाम दर्ज होना बताया। अतः वाद खारिज किया जाने का निवेदन किया।
18. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की लिखित बहस का अध्ययन किया। दस्तावेजात का अवलोकन किया। न्याय निर्णयन हेतु तनकीवार निर्णय निम्नानुसार हैं –

1. आया वादी विवादग्रस्त भूमि का आवंटन होने से अपने नाम खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी हैं।

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर रहा। वादी द्वारा दस्तावेज पट्टे की नकल प्रदर्श 1, पोस्ट ऑफिस की रसीद

प्रदर्श 2, एडी रसीद प्रदर्श 3, खाते की नकल प्रदर्श 4, पट्टे की नकल प्रदर्श 5, रेवेन्यु बोर्ड के केस की प्रतिलिपी प्रदर्श 6, मिलान खसरे की नकल प्रदर्श 7 एवं गवाह पीडब्ल्यू 1 श्री कन्हैयालाल, पीडब्ल्यू 2 श्री कजोडीलाल, पीडब्ल्यू 3 श्री धर्मराज के बयान कलमबद्ध करायें। वर्णित भूमि को बाडा के रूप में आवंटन किया जाना जाहिर आया है लेकिन भूमिहीन व्यक्तियों को कोई भूमि आवंटन की जाती हैं तो वह उसे काश्त करने के लिए दी जाती है और काश्त करने वाली भूमि का ही नियमन किया जाता हैं। बाडा अस्थाई रूप से आवंटन किया जाता हैं। जिसका नियमन नहीं किया जाता हैं। वादी द्वारा अपने समर्थन में प्रस्तुत गवाह साक्ष्य, दस्तावेज से यह कही सिद्ध नहीं कर पाया कि उक्त भूमि पर वादी कब से काश्त कर रहा हैं एवं आवंटन के दौरान दिए गए शर्तों की पालना किया जाने का सबूत भी पेश नहीं किया। जिससे उक्त कृषि भूमि खेती के लायक मानी जाती हों एवं वादी अपने नाम खातेदारी से दर्ज कराने का अधिकारी हों। अतः उक्त तनकी वादी अपने पक्ष में निर्णित करानें में असफल रहा हैं। उक्त तनकी वादी के विरूद्व निर्णित की जाती हैं।

2. आया बाडा अस्थाई आवंटन होने से गैर खातेदारी में होने से खातेदारी अधिकार नहीं दिया जा सकता हैं।

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर रहा। प्रतिवादी सं. 3 से 5 की ओर से साक्ष्य प्रतिवादी के रूप में गवाह शपथ पत्र डीडब्ल्यू 1 भंवरलाल पेश किया जिसमें वादग्रस्त भूमि पर वादी का कोई कब्जा नहीं होना बताया हैं। प्रतिवादी सं. 3 से 5 वादी के सगे भाई हैं। राजपेरोकार द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया। परन्तु लिखित बहस के साथ दस्तावेज वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 प्रस्तुत कर निवेदन किया भूमि वर्तमान में नगर विकास प्रन्यास के नाम दर्ज होना बताया। लिखित बहस के तहत् राजपेरोकार द्वारा वादी को आवंटन भूमि बाडा के रूप में आवंटन किया जाने की बात कही है जिसे बाडे के तहत् दी गई भूमि पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं। खातेदारी अधिकारी केवल कृषि भूमि के लिए काम में आने वाली भूमियों पर ही खातेदारी अधिकार दिये जाने का प्रावधान बताया हैं। भूमि वादी को बाडे के रूप में आवंटन किया जाने से भूमि पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है जो राजपेरोकार द्वारा प्रस्तुत राजस्व नियमावली संग्रह के पेज नम्बर 2 के

बिन्दु सं. 4(4) से स्पष्ट है कि बाडे के लिए भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त तनकी प्रतिवादी अपने पक्ष में साबित कराने में सफल रहे हैं। उक्त तनकी प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती हैं।

19. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राजपेरोकार द्वारा प्रस्तुत नजीरों का सद्भावनापूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण में तनकीवार निर्णयन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहूचें है कि वादग्रस्त भूमि वादी को बाडें के रूप में आवंटन हुई हैं। वादी द्वारा भूमि आवंटन होने की बात कही हैं लेकिन वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज, साक्ष्य पेश नहीं की जिससे वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि पर काश्त करना साबित होता हो एवं आवंटन के दौरान दिए गए शर्तों की पालना होना साबित होता हों। बाडा अस्थाई रूप से आवंटन किया जाता था जिसका नियमन नहीं किया जा सकता हैं। पत्रावली के अवलोकन से प्रतिवादी सं. 3 से 5 वादी के सगे भाई हैं। जो उक्त भूमि पर अपना अपना कब्जा बता रहे हैं। जिस बाबत् वादी व प्रतिवादी सं. 3 से 5 के मध्य आपस में अन्य मुकदमें होना जाहिर आया हैं। ऐसी स्थिति में कब्जे को लेकर भी वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं हैं कि मौके पर किसका कब्जा है। वर्तमान में भूमि नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के नाम दर्ज हैं। प्रकरण में नगर विकास प्रन्यास उदयपुर आवश्यक पक्षकार है जिसे भी वादी द्वारा वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया हैं। भूमि वादी को बाडे हेतु आवंटन की गई हैं। भूमि पर काश्त नहीं होने एवं आवंटन की शर्तों की पालना नहीं होने से वादी को खातेदारी अधिकार नहीं दिया जा सकता हैं। वादी का वाद स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।

20. उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हों। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले न्यायालय लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(जितेन्द्र ओझा)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

मूल वाद में डिक्री

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास जितेन्द्र ओझा, आर.ए.एस.

उनवान्

1. कन्हैयालाल पिता हीरालाल ब्राहम्ण निवासी गुडली तह. मावली।

.....वादी

बनाम्

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
2. राज्य सरकार जरिये जिला कलक्टर उदयपुर।
3. श्री भंवरलाल पिता हीरालाल ब्राहम्ण निवासी गुडली तह. मावली।
4. श्री रामलाल पिता हीरालाल ब्राहम्ण निवासी गुडली तह. मावली।
5. श्री मनोहरलाल पिता हीरालाल ब्राहम्ण निवासी गुडली तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 68/12 (वाद)

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु जितेन्द्र ओझा R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है किः–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 31.10.2017 को जारी की गई।

(जितेन्द्र ओझा)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली